पत्रांक –3/एम0–09/2018सा०प्र० 6210 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 14.5. 2018

विषय– **सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 में निहित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का सम्यक अनुपालन करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **परिवाद संख्या–1/लोक(कृषि)–12/2011 श्री नुनु झा बनाम कृषि पदाधिकारी, खानपुर, समस्तीपुर में माननीय (सदस्य), लोकायुक्त बिहार द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक– 08.02.2018 के अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संग्रह (वर्ष 2001 से 2010 तक) भाग–1 के अध्याय–9 में अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित नियमावली एवं परिपत्रों का संग्रहण किया गया है। साथ ही परिपत्र संग्रह के प्रकाशन के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र संख्या– 1893 दिनांक– 14.06.2011; 9407 दिनांक– 02.07.2012; 2763 दिनांक– 26.02.2014; 10798 दिनांक–04.08.2014; 17696 दिनांक– 23.12.2014;12787 दिनांक– 28.08.2015; 11931 दिनांक–01.09.2016; 12196 दिनांक– 07.09.2016; 13360 दिनांक– 29.09.2016; 8237 दिनांक– 06.07.2017; 8811 दिनांक– 18.07.2017; 10875 दिनांक–24.08.2017; संकल्प सं0–14106 दिनांक– 08.11.2017; परिपत्र सं0– 15548 दिनांक– 06.12.2017; अधिसूचना सं0–15983 दिनांक–14.12.2017; परिपत्र संख्या–806 दिनांक–16.01.2018 एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या– 105 दिनांक– 25.01.2017 निर्गत है। परिपत्र संग्रह एवं उक्त वर्णित परिपत्र संबंधित विभाग के बेवसाईट पर भी उपलब्ध है। विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के क्रम में इनके प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

विदित हो कि विभिन्न विभागों में विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मचारियों का विभागीय कार्यवाही के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम बिपार्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है। अतः बिपार्ड से सम्पर्क कर विभाग/कार्यालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को भी विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के अद्यतन प्रावधान एवं प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है।

फिर भी ऐसा देखा जा रहा है कि कतिपय मामलों में विभागीय कार्यवाही के निष्पादन से संबंधित प्रावधानों/प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण सरकार को असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

प्रसंगवर्णित परिवाद संख्या– 1/लोक(कृषि)–12/2011 में माननीय सदस्य (न्यायिक) लोकायुक्त, बिहार द्वारा दिनांक–08.02.2018 को पारित अन्तरिम आदेश में भी इस संदर्भ में सरकार का ध्यानाकृष्ट किया गया है। अन्तरिम आदेश दिनांक–08.02.2018 का कार्यकारी अंश निम्नवत् है–

> Let a copy of this order be sent to the Chief Secretary of the Government of Bihar, Principal Secretary of the General Administration Department, Bihar, Patna, as well as to the Director, Agriculture, Bihar, Patna, by Email, **for ensuring that conducting of departmental proceeding and passing the order of punishment by way of checking corrupt practices of the officials and employees of the State of Bihar is taken to be a serious matter by all concerned departmental heads/Divisional Commissioner(s)/ Collector(s) of the Bihar.**

अतः अनुरोध है कि सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही के संचालन/निष्पादन में प्रवृत्त प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करने का निदेश सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को देने की कृपा की जाय। साथ ही बिपार्ड से सम्पर्क कर संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(राजेन्द्र राम) 14/3/18

सरकार के अपर सचिव।